उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मिस पिटीशन नं0–06/2019

दुखनी देवी उर्फ अनीमा देवी

बनाम्

सनातन दत्ता वगैरह

–: आदेश :–

दिनांक

12/08/19

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तओं को सुना। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता दुखनी देवी उर्फ अनीमा देवी, पे0–स्व0 सत्तहरी दत्ता, पति–सुनील गण, सा0–न्यू कुम्हार पाड़ा टीका बाबा रोड घाट रसीकपुर, दुमका, जिला–दुमका के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के मिस केश नं0–42/2018–19 आदेश दिनांक–28.01.2019 के विरूद्ध अपील आवेदन दाखिल किया है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा ने आदेश दिनांक–28.01.2019 के द्वारा अपीलकर्त्ता दुखनी देवी उर्फ अनीमा देवी के दावा आवेदन को खारिज किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–खदहरा घाट के जमाबंदी सं0–07 के दाग नं0–74 एवं 76 की जमीन एन0टी0पी0सी0, एम0जी0आर0 रेलवे लाईन निर्माण कार्य हेतु अधिग्रहण किया गया है, का मुआवजा भुगतान करने के लिए अपीलकर्त्ता के द्वारा श्रीमान के न्यायालय में मिस आवेदन नं0–28/18 दायर किया गया था। उक्त वाद में आदेश दिनांक–06.11.18 के द्वारा अपीलकर्त्ता के आवेदन को नियमानुसार विचार करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा को भेजा गया। लेकिन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा ने अपीलकर्त्ता के दावा आवेदन को खारिज किया है, जिससे विक्षुब्ध होकर अपीलकर्त्ता ने वर्तमान अपील वाद दायर किया है। अपीलकर्त्ता गत जमाबंदी रैयत के वंशज है। उनके द्वारा वंशावली निम्न प्रकार दर्शाया है :–

भोलानाथ दत्ता
पत्नि पुतुल देवी

आनंद कु0 दत्ता | रतन कु0 दत्ता | मिहिर कु0 दत्ता | मानव कु0 दत्ता

सतहरी दत्ता

(प्रथम पत्नि से जन्म लिया)
हराधन दत्ता

(दूसरी पत्नि से जन्म ली)
दुखनी देवी उर्फ अनीमा देवी
(अपीलकर्त्ता)

सनातन दत्ता
(विपक्षी सं0–1)

संतोष दत्ता
(विपक्षी सं0–2)

उनका आगे कथन है कि विपक्षी भी उक्त जमीन का मुआवजा पाने के लिए समान रूप से हकदार है, क्योंकि संशोधित हिन्दु कानून के अनुसार पुत्री एवं भाई को विरासत का समान अधिकार है। लेकिन अंचल अधिकारी, महागामा के प्रतिवेदन के आधार पर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा गलत एवं अवैध ढंग से अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया गया। जबकि अपीलकर्त्ता मधुसुदन दत्ता या सतहरी दत्ता के सम्पति पर आधा मुआवजा पाने के हकदार है एवं आधा हकदार विपक्षी सनातन दत्ता एवं संतोष दत्ता है। अंचल अधिकारी, महागामा के दिनांक–05.11.18/06.11.18 से भी पता चलता है कि दुखनी देवी, पिता–सतहरी दत्ता भी मुआवजा पाने के हकदार है। अपीलकर्त्ता ने अंत में मुआवजा दिये जाने हेतु दावा तय करने के लिए अभिलेख विशेष न्यायालय दुमका भेजने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में उदय दत्ता चौधरी वगैरह के नाम से दर्ज है, जिसका वंशावली निम्न प्रकार है :–

जमाबंदी रैयत–उदय दत्ता चौधरी

बनबिहारी दत्ता | राधानाथ दत्ता | मधुसुदन दत्ता

राधानाथ दत्ता
भोलानाथ दत्ता
मो0 पुतुल देवी

आनंद कु0 दत्ता | रतन कु0 दत्ता | मिहिर कु0 दत्ता | मानव कु0 दत्ता

सतहरी दत्ता

(प्रथम पत्नि न0–1)
हराधन दत्ता

(दूसरी पत्नि न0–2)
दुखनी देवी
(अपील नं0–6/19)

सनातन दत्ता (उत्तरवादी)　　संतोष दत्ता (उत्तरवादी)

उनका आगे कथन है कि पक्षकार तामोली बंगाली है, जिसके सम्पति पर हक का निर्धारण दयाभाग विद्यालय या बंगाली विद्यालय से शासित होता है। जमाबंदी रैयत उदय दत्ता चौधरी को क्रमशः तीन पुत्र बन बिहारी दत्ता, राधानाथ दत्ता एवं मधुसूदन दत्ता हुए। बन बिहारी दत्ता की मृत्यु नावल्द हो गयी। दो पुत्र राधानाथ दत्ता एवं मधुसूदन दत्ता जीवित रहे और दोनों ने अपने पिता का आधा–आधा जमीन प्राप्त किया। राधानाथ दत्ता को एक पुत्र भोलानाथ दत्ता हुए एवं मधुसूदन दत्ता को एक पुत्र सतहरी दत्ता हुए। भोलानाथ दत्ता एवं सतहरी दत्ता ने अपने–अपने पिता की हिस्से की जमीन प्राप्त किये। भोलानाथ दत्ता अपने पीछे अपनी पत्नि पुतुल देवी एवं चार पुत्र क्रमशः आनंद कु0 दत्ता, रतन कु0 दत्ता, मिहिर कु0 दत्ता एवं मानव दत्ता को छोड़कर फौत कर गये। दूसरी तरफ सतहरी दत्ता को पहली पत्नि से एक पुत्र हराधन दत्ता हुए एवं दूसरी पत्नि से एक मात्र पुत्री दुखनी देवी हुई। हराधन दत्ता एवं दुखनी देवी सौतेला भाई–बहन है। इसलिए दयाभाग कानून के अनुसार हराधन दत्ता अपने पिता के इकलौते पुत्र होने के कारण एवं सपिण्डशिप का संबंध होने के कारण पुत्र को ही अपने पिता के सम्पति पर न्यायगत हक प्राप्त होता है तथा दुखनी देवी हराधन दत्ता के सौतेली बहन होने के कारण एवं उनका शादी होने के बाद उन्हें हक प्राप्त नहीं है और मुआवजा की राशि भी उनको प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए अपने पिता का एक मात्र पुरूष उत्तराधिकारी होने के कारण मुआवजा राशि प्राप्त करने का हकदार उत्तरवादी ही है। उनका आगे कथन है कि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी एक न्यायालय है, जो कि उपायुक्त का शक्ति प्रदत्त है। उसी आधार पर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा ने अपीलकर्त्ता के दावा आवेदन को खारिज किया है। इसलिए पूर्व निर्णित कानून द्वारा बाधित होने के कारण वर्तमान अपील वाद चलने योग्य नहीं है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता अपने पिता की मृत्यु के बाद कभी भी सम्पति के लिए दावा नहीं की है। पुतुल देवी के कहने पर अपीलकर्त्ता द्वारा वर्तमान वाद दायर किया गया है। जबकि अंचल अधिकारी, महागामा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उत्तरवादी ही उक्त अधिग्रहण जमीन का आधा हिस्सा का हकदार है। उन्होंने अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करते हुए पहले से तैयार मुआवजे के आधार पर समान रूप से मुआवजा के विभाजन

का निर्देश जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा को देने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–348/जि0भू0अ0 दिनांक–27.03.19 के जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि एन0टी0पी0सी0 एम0जी0आर0 रेल निर्माण हेतु मौजा–खदहरा घाट, अंचल–महागामा के अन्तर्गत जमाबंदी नं0–7 के तहत दाग नं0–64, 66, 77, 72 एवं 76 का एवार्ड उपायुक्त–सह–समुचित प्राधिकार के द्वारा दिनांक–07.12.2017 को घोषित किया गया है। उपायुक्त न्यायालय में मिस पिटिशन सं0–29/2018 पुतुल देवी बनाम् सनातन दत्त एवं अन्य तथा मिस पिटिशन सं0–28/2018 दुखनी देवी बनाम् सनातन दत्त के वाद में माननीय न्यायालय के द्वारा अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी के कराये गये जाँच प्रतिवेदन के साथ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशित किया गया था। उक्त के आलोक में विविध वाद संख्या–42/2018–19 संधारित कर सुनवाई की गई एवं आदेश पारित किया गया। पारित आदेश के उपरांत मृत एवार्डियों के स्थान पर उनके वर्तमान वारिसानों को एवार्ड के भुगतान हेतु उपायुक्त महोदया से आदेश प्राप्त किया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मामला मौजा–खदहराघाट के अन्तर्गत दाग नं0–64, 66, 77, 72 एवं 76 के जमीन का अवार्ड भुगतान से संबंधित है। अपीलकर्त्ता ने अधिग्रहित जमीन का आधा हिस्सा का अवार्ड भुगतान करने के लिए दावा किया है। इसके पूर्व मिस पिटीशन नं0–29/18 दायर किया गया था। उक्त वाद में दिये गये निदेश के आलोक में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा विविध वाद सं0–42/2018–19 के आदेश दिनांक–28.01.2019 के द्वारा दुखनी देवी के दावा को खारिज किया गया है। उसी आदेश के विरूद्ध वर्तमान अपील वाद लाया गया है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अधिग्रहित जमीन का अवार्ड भुगतान हेतु उपायुक्त, गोड्डा से आदेश प्राप्त है। ऐसी स्थिति में इस स्तर से कोई निर्णय देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

18/08/19

उपायुक्त,
गोड्डा।

18/08/19

उपायुक्त,
गोड्डा।

Seen
Adv
19/8/21

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.07 13:08:52 +05:30
Location: 192.168.29.32